कृषि अनुसंधान उप केन्द्र (कृषि विश्वविद्यालय, जोधपुर)
समदड़ी- बाड़मेर, राजस्थान-344021
AGRICULTURAL RESEARCH SUB STATION(Agriculture University, Jodhpur)
Samdari- Barmer, Rajasthan- 344021
Email: arsssamdari@gmail.com

क्र.()/कृअउके/समदड़ी/स्टोर/निविदा/2019/65 दिनांक:- 09.05.2019

खुली निविदा आमंत्रण सूचना

कृषि विश्वविद्यालय, जोधपुर के कृषि अनुसंधान उप केन्द्र, समदड़ी, बाड़मेर के फार्म पर खरीफ व रबी 2019-20 की फसलों में विभिन्न कृषि व अन्य कार्यो हेतु अनुबंध पर श्रमिक उपलब्ध करवाने हेतु मुहरबन्द निविदा (अनुमानित लागत रूपये 5,00,000/- अक्षरे रूपये पाँच लाख मात्र) आमंत्रित की जाती है। इच्छुक व्यक्ति उक्त कार्य के लिए निविदा प्रपत्र शुल्क रू 500/- (अक्षरे रू. पाँच सौ मात्र) नकद जमा कर दिनांक 27.05.2019 वार सोमवार को सुबह 11:00 बजे तक कृषि अनुसंधान उप केन्द्र समदड़ी बाड़मेर के कार्यालय से प्राप्त कर सकते है। पूर्ण रूप से भरी हुई निविदा मय धरोहर राशि रूपये 10000 /-(अक्षरे रूपये दस हजार मात्र) बैंक ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक जो ऑफिसर इंचार्ज, एग्रीकल्चरल रिसर्च सब स्टेशन, समदड़ी (Officer Incharge, ARSS, Samdari) के नाम से देय हो, दिनांक 27.05.2019 वार सोमवार को दोपहर 12:15 बजे तक कृषि अनुसंधान उप केन्द्र समदड़ी बाड़मेर के कार्यालय में जमा करवा सकते हैं। निविदा उसी दिन 27.05.2019 वार सोमवार को दोपहर 1:00 बजे के बाद खोली जायेगी। निविदा प्रपत्र व शर्तो को कृषि विश्वविद्यालय, की वेब साइट www.aujodhpur.ac.in अथवा राजस्थान राज्य लोकसेवा उपापन की वेब साइट http://sppp.rajasthan.gov.in से डाउनलोड किया जा सकता है। निविदा को स्वीकृत/ अस्वीकृत/ स्थगित/ निरस्त/ संशोधन आदि करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरकर्ता का रहेगा।

प्रभारी अधिकारी

कृअउके, समदड़ी
निविदा प्रपत्र 2 वर्ष-2019-20

कृषि अनुसंधान उप केन्द्र, समदड़ी, बाड़मेर
(कृषि विश्वविद्यालय, जोधपुर)

कृषि व अन्य कार्यो के लिए अनुबन्ध पर श्रमिक उपलब्ध कराने हेतु निविदा (वर्ष 2019–20)

निविदा प्रपत्र क्रम संख्या	वर्ष 2019–20 / सं. 02
निविदा क्रम संख्या	क्रमांकःएफ()/कृअउके/समदड़ी/स्टोर/निविदा/2019/65 दिनांकः–09.05.2019 (UBN JAU1920WSOB00013)
निविदा प्रपत्र शुल्क	500 / –रूपये रसीद संख्याः.. दिनांकः–......................
निविदा वर्ष	2019–20
श्रमिक उपलब्ध कराने की अनुमानित अवधि	जून 2019 से मार्च 2020
अनुमानित लागत	रू. 500000 / –
निविदा प्रपत्र उपलब्ध होने की तिथि	10.05.2019 से 27.05.2019 सुबह 11.00 बजे तक
निविदा जमा कराने की अंतिम तिथि	27.05.2019 दोपहर 12.15 बजे तक
निविदा खोलने की तिथि	27.05.2019 दोपहर 01.00 बजे
निविदा खोलने का स्थान	कार्यालय, कृषि अनुसंधान उप केन्द्र, समदड़ी, बाड़मेर
पत्राचार हेतु पता	प्रभारी अधिकारी, कृषि अनुसंधान उप केन्द्र, समदड़ी, बाड़मेर (कृषि विश्वविद्यालय, जोधपुर) (राज.) 344021

नोटः– धरोहर राशि कार्यालय, कृषि अनुसंधान उप केन्द्र, समदड़ी, बाड़मेर में किसी भी कार्य दिवस में जमा करायी जा सकती है। धरोहर राशि दिनांक 27.05.2019 दोपहर 12.15 बजे तक ही स्वीकार की जायेगी। धरोहर राशि बैंक ड्राफ्ट / बैंकर्स चैक द्वारा जो कि ऑफिसर इंचार्ज, एग्रीकल्चरल रिसर्च सब स्टेशन, समदड़ी (Officer Incharge, ARSS, Samdari) के नाम देय हों, जमा करायी जा सकती हैं।

संलग्नः–निविदा प्रपत्र एवं आवश्यक शर्तें–

प्रभारी अधिकारी

कृअउके, समदड़ी
निविदा प्रपत्र 2 वर्ष-2019-20

कृषि अनुसंधान उप केन्द्र, समदड़ी, बाड़मेर
कृषि विश्वविद्यालय, जोधपुर

निविदा प्रपत्र

(कृषि व अन्य कार्यो के लिए श्रमिक उपलब्ध कराने हेतु)

निविदा प्रपत्र शुल्क रू 500 /- (अक्षरे रू. पाँच सौ मात्र) रसीद संख्या .... दिनांक ....

निविदा सूचना क्रमांक एफ./कृअउके/समदड़ी/स्टोर/निविदा/2019/65 दिनांक 09 09.05.2019 के तहत कृषि विश्वविद्यालय जोधपुर कृषि अनुसंधान उप केन्द्र, समदड़ी पर कृषि व अन्य कार्यो के लिए श्रमिक उपलब्ध कराने का निविदा प्रपत्र धरोहर राशि रू 10000 /- (अक्षरे रूपये दस हजार मात्र) बैंक ड्राफ़्ट / बैंकर्स चैक संख्या .... दिनांक ....

निविदादाता का नाम व पूरा पता ....
....
....

दूरभाष नंबर यदि हो : .... मो. नंबर ....

क्र.स.	कार्य का विविरण	निविदा दर (निविदा दरें सरकारी दर को आधार मानते हुये भरें)*
1.	फसलों की बुवाई (ले-आउट /गेप फिलिंग /पौध की रोपाई,पौध प्रजनन के विभिन्न कार्य सेल्फिग (परागण कार्य में मदद करना) खरपतवार निकालना (हैण्ड विडींग),गुड़ाई करना,तुड़ाई (पिकिंग), कटाई, गहाई, औसाई, बीज निकालना व बीज पैंकिंग, विभिन्न कृषि प्रयोगों के आंकड़े (खेत व प्रयोगशाला में) लेने में मदद, फसल को पक्षियों से बचाव व फसलों को खलिहान तक लाना, फार्म, भण्डारगृह व कार्यालय में विभिन्न कार्य (अकुशल श्रमिक)।	दर प्रतिदिन 8 घंटे कार्य से रू..................................प्रति अकुशल श्रमिक
2.	कार्यालय व इस के शौचालय, स्नान घर व अन्य सफाई कार्य (अकुशल श्रमिक)	दर प्रतिदिन 8 घंटे कार्य से रू ....प्रति अकुशल श्रमिक
3.	बिजली एवं सेनेट्री रख रखाव कार्ये (अर्द्ध कुशल श्रमिक)।	दर प्रतिदिन 8 घंटे कार्य से रू .... प्रति अर्द्ध कुशल श्रमिक
4.	ट्रेक्टर चालक	दर प्रतिदिन 8 घंटे कार्य से रू ....प्रति कुशल श्रमिक

*किसी भी प्रकार का कर (पी.एफ. ई.एस.आई.या अन्य कर या श्रमिक लाभ)निविदादाता द्वारा दी गयी दर में सम्मलित रहेगा

हस्ताक्षर निविदादाता ठेकेदार

कृअउके, समदड़ी
निविदा प्रपत्र 2 वर्ष-2019-20

कृषि अनुसंधान उप केन्द्र, समदड़ी, बाड़मेर
कृषि विश्वविद्यालय, जोधपुर

सूचना क्र./कृअउके/समदड़ी/स्टोर/निविदा/2019/65 दिनांकः- 09.05.2019

कृषि व अन्य कार्यो के लिए श्रमिक उपलब्ध कराने हेतु निविदा की शर्ते

1. मुहरबन्द निविदा प्रभारी अधिकारी, कृषि अनुसंधान उप केन्द्र समदड़ी बाड़मेर के नाम से देय होनी चाहिए ।
2. निविदा मुहरबन्द लिफाफे में भौतिक रूप में भी जमा करवानी है जिसके लिफाफे पर कृषि व अन्य कार्यो के लिए श्रमिक उपलब्ध कराने हेतु निविदा तथा दिनांक 09.05.2019 लिखा होना चाहिए।
3. प्रत्येक कार्य की निविदा दर स्पष्ट रूप से अंको व शब्दो में लिखी होनी चाहिए।
4. सशर्त निविदा स्वीकार नहीं की जाएगी।
5. निविदादाता निविदाशर्तों का अध्ययन करने के पश्चात ही प्रस्तुत करें तथा प्रत्येक पृष्ठ पर निविदादाता के हस्ताक्षर होने चाहिए।
6. निविदा दरें निविदा अनुमोदन के पश्चात 12 महीने के लिये मान्य होगी । आपसी सहमति से यह समयावधि बढ़ाई जा सकती है।
7. निविदा के साथ रू 10000/- (अक्षरे रूपये दस हजार मात्र) धरोहर राशि बैंक डिमाण्ड ड्राफ़्ट के साथ जो की प्रभारी अधिकारी कृ.अ.उ.के., समदड़ी (Officer Incharge, ARSS, Samdari) के नाम देय हो, व निविदा प्रपत्र शुल्क रू 500/- (अक्षरे रू पाँच सौ मात्र) नगद जमा कर प्रस्तुत करें। बिना धरोहर राशि के निविदा स्वीकार नही की जायेगी तथा धरोहर राशि के रूप में चैक स्वीकार नही किया जायेगा।
8. निविदा दिनांक 27.05.2019 को 01:00 बजे बाद खोली जायेगी । यदि किसी कारणवश उस दिन का अवकाश रहता है तो अगले दिन उसी समय व उसी स्थान पर निविदा खोली जायेगी।
9. किसी भी निविदा को स्वीकृति/ अस्वीकृति/ स्थगित/ निरस्त आदि करने का अधिकार प्रभारी अधिकारी के पास सुरक्षित रहेगा एवं प्रभारी अधिकारी के निर्णय सर्वमान्य होंगे।
10. कार्य, प्रभारी अधिकारी/ फार्म प्रभारी/ फार्म प्रबंधक/ कृषि पर्यवेक्षक की निगरानी में उनके निर्देश के अनुसार पूरा करना होगा ।
11. कृषि कार्यो के लिए जरूरी जैसे फावड़ा,कुदाली, गैंती, खुरपी, दंताली, आदि स्वयं के लाने होंगे। फार्म पर कार्य करवाने के लिये श्रमिकों को लाने एवं ले जाने के लिये कोई भी साधन अनुसंधान केन्द्र के द्वारा उपलब्ध नही करवाया जायेगा।
12. कार्य की प्रकृति एवं मांग के अनुसार श्रमिक उपलब्ध करवाने होंगे। ठेकेदार को समय - समय पर अग्रिम रूप से सूचित किया जाता रहेगा। ठेकेदार को उसी अनुसार निर्धारित समय पर कार्य करवाना होगा अन्यथा, कार्य सम्पादक मे किसी भी प्रकार के विलम्ब को अनुसंधान उप केन्द्र का नुकसान माना जायेगा जो कि धरोहर राशि के बराबर अथवा कमेटी जो निर्धारित करेगी, उसी के अनुसार नुकसान कि भरपाई ठेकेदार को करनी होगी।
13. संविदा पर करवाने जाने वाले कार्यो के लिये निर्धारित मापदंडो के अनुसार कार्य न होने पर उस कार्य को सुधार कर पूरा करवाने कि ज़िम्मेदारी ठेकेदार कि होगी, जिसको निविदादाता द्वारा स्वयं के खर्चे से व्यवस्थित रूप से पूरा करवाना होगा। यदि ठेकेदार ऐसा करने में असमर्थ रहा तो उस कार्य को अनुसंधान केन्द्र द्वारा ठेकेदार के जोखिम पर करवाया जायेगा।
14. ठेकेदार के श्रमिकों द्वारा यदि फार्म कि फसलों अथवा संपति को किसी भी प्रकार का नुकसान पहुचाया गया तो उसका हर्जाना ठेकेदार को भुगतना पड़ेगा अथवा नुकसान का हर्जाना अदा नही करने पर धरोहर राशि अथवा देय भुगतान में से काट लिया जायेगा।

15. भुगतान केवल पूरा करवाये गये कार्य कि मात्रा के अनुसार ही किया जायेगा तथा ठेकेदार को अग्रिम तौर पर धन, सामान अथवा किसी प्रकार कि सेवा प्रदान नहीं कि जायेगी।
16. सफल निविदादाता के अतिरिक्त सभी कि धरोहर राशि निविदा अनुमोदन के पश्चात सात दिन के अन्दर - अन्दर लौटा दी जायेगी। धरोहर राशि पर कोई ब्याज देय नही होगा।
17. सफल निविदादाता यदि ठेका बीच में छोड़ देता है तो उसकी धरोहर राशि व करवाये गये कार्य बकाया भुगतान जब्त करके ब्लेक - लिस्टेड घोषित कर दिया जायेगा।
18. कार्यालय द्वारा स्वीकृति दरों के अतिरिक्त किसी प्रकार का भुगतान नही किया जावेगा तथा स्रोत पर आयकर, सेवाकर या सरकारी देनदारी, अन्य कर देय हो तो नियमानुसार कटोती निविदादाता से कि जायेगी।
19. ठेकेदार श्रमिकों को राज्य सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम दर से कम भुगतान नहीं करेगा एवं भुगतान फार्म मैनेजर/ कृषि पर्यवेक्षक कि उपस्थिती में व समय पर करेगा।
20. अनुबंधकर्ता को नॉन - ज्यूडिसियल स्टाम्प रूपये 500 या हाल ही घोषित सरकारी दर पर इकरारनामा (अनुबन्ध)प्रेषित करना होगा एवं साथ ही अनुबन्धित वार्षिक राशि कि 5 प्रतिशत राशि प्रतिभूति (Security) के रूप में निर्धारित अवधि में जमा करवानी होगी।
21. अनुबन्ध पर रखे श्रमिक निर्धारित समय पर ड्यूटी पर उपस्थिती होंगे एवं कार्य संतोषजनक नही होने पर स्वीकृति अनुबन्ध निरस्त कर नई निविदा आमंत्रित कर ली जावेगी। स्वीकृति दर से अधिक दर पर भुगतान करने पर अनुमोदित अनुबन्धकर्ता से अधिक भुगतान कि गई राशि वसूल की जाएगी।
22. अशिष्ट व्यवहार करने व कार्य संतोषजनक नही होने पर श्रमिक को हटा दिया जायेगा। श्रमिकों के संदर्भ में यदि किसी प्रकार का कोई दायित्व उत्पन्न होता है तो उसके लिये संबन्धित निविदादाता ही व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी रहेगा तथा अनुसंधान केन्द्र किसी भी रूप से उत्तरदायी नही होगा तथा इस सम्बन्ध में अनुसंधान केन्द्र के विरुद्ध की गई सभी कार्यवाही या कानूनी कार्यवाही प्रभाव शून्य होगी।
23. अनुबन्ध अवधि में किसी श्रमिक की दुर्घटना से मृत्यु या अन्य दुर्घटना घटित होने पर उससे उत्पन्न किसी प्रकार के विवाद की पूर्ण जिम्मेदारी अनुबन्धकर्ता (ठेकेदार) की होगी। ऐसी स्थिति में अनुसंधान उप केन्द्र की किसी प्रकार की जिम्मेदारी नहीं होगी और न ही किसी प्रकार की क्षतिपूर्ति राशि का भुगतान किया जायेगा और न ही इस सम्बन्ध में अनुसंधान उप केन्द्र प्रशासन से क्षतिपूर्ति की मांग की जावेगी ।
24. अनुबन्ध अवधि के दौरान लगाये जाने वाले श्रमिकों के संदर्भ में श्रम कानूनों एवं प्रावधानों की पूर्ण पालना हेतु निविदादाता (ठेकेदार)उत्तरदायी रहेगा।
25. राजस्थान Transparency in public procurement rule 2013 के प्रावधान प्रभावी रहेंगे ।
26. किसी भी विवाद का निपटारा करने हेतु अनुसंधान केंद्र का निर्णय अंतिम रूप से मान्य होगा एवं ठेकेदार उसके लिए बाध्य होगा।
27. निविदादाता/ फर्म/ ऐजेंसी के पास श्रम विभाग में पंजीयन होना चाहिए तथा उसके पास आयकर विभाग द्वारा निर्गत वैध पैन नं (PAN No.)/सेवाकर नम्बर इत्यादि व राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम, 2012 एवं नियम, 2013 के अन्तर्गत मानव संसाधन की सेवाओं के उपापनों के सम्बंध में दिशा निर्देशित प्रमाण पत्र जो ऐसे निविदादाता के लिए आवश्यक हो, होने चाहिए ।

प्रभारी अधिकारी

मुझे (निविदादाता) समस्त उपरोक्त शर्तें मंजूर है एवं मैं उपरोक्त शर्तो पर कार्य करने के लिए सहमत हूँ।

हस्ताक्षर निविदादाता (ठेकेदार)